UPAN010010122026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–238/2026

1. कंचन यादव आयु लगभग 30 वर्ष पुत्री राम भजन यादव, निवासी ग्राम मधईपुर जीवत, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
2. सुमन यादव आयु 36 वर्ष पत्नी धर्मेन्द्र कुमार यादव, निवासी ग्राम सिंघोरिया तरवा दुलहूपुर खुर्द, थाना कटका, जनपद अम्बेडकर नगर

–––––––आवेदिकागण/अभियुक्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार –––––––––––––अभियोजन पक्ष

09.03.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 439 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत आवेदिकागण/अभियुक्तागण कंचन यादव व सुमन यादव की ओर से मु०अ०सं० 83/2017, अन्तर्गत धारा 323, 325, 308, 504, 506, 427 भा०दं०सं० थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदिकागण/अभियुक्तगण के पैरोकार राम भजन यादव द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2017 को समय 17.40 बजे वादी अम्बिका प्रसाद द्वारा थाना जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थी के गांव के राम भजन यादव, सुनील यादव, संदीप यादव, सुशीला, कंचन व सुमन जो सरकश व गोलबन्द किस्म के व्यक्ति हैं। आज दिनांक 07.05.2017 को समय लगभग 3.30 बजे विपक्षीगण एक जुट व एक राय होकर लाठी–डण्डा व बंदूक लहराते हुए प्रार्थी की भूमि को अवैधानिक ढंग से कब्जा करने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर विपक्षीगण प्रार्थी को जान से मार डालने की नीयत से दौड़ा लिये। प्रार्थी भाग कर अपने घर में घुस गया तो विपक्षीगण बंदूक व लाठी–डण्डा लेकर भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए घर में घुस गये और प्रार्थी को बुरी तरह से जान से मार डालने की नीयत से मारने लगे, घर में मौजूद प्रार्थी की माता केवला देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उसे भी मार कर मरणासन्न कर दिये और प्रार्थी के पिता राज बहादुर को बंदूक के बट से बुरी तरह से मारे तथा उसके पुत्र हेमंत को भी कई लाठी मारे, जिससे सभी को गम्भीर चोटें आयी। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–83/2017 धारा 147,148, 149, 323, 504,506,352,452 व 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त धारा 323, 325,308,504,506, 427 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई घटना कारित नहीं किया है। उनकी तरफ से भी वादी पक्ष के विरूद्ध कास केस मु०अ०सं० 84/2017 अन्तर्गत धारा 147, 148,149,323,452,379,308 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने विवेचना में सहयोग किया है। वे जमानत की शर्तों का पालन करेंगे। अतः उन्होंने स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धृत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना के दिनांक, समय व स्थान पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसे व उसके परिजनों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये लाठी डण्डा से मारा पीटा और घर में तोड़ फोड़ किया। सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदिकागण/ अभियुक्तागण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है और न हीं विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई आख्या प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से आवेदिकागण/अभियुक्तागण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण का क्रास केस होना कहा गया है। इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मारपीट की घटना में कौन सा पक्ष अग्रेसर रहा है। आवेदिकागण/ अभियुक्तागण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तो का अतिलंघन किया जाना नहीं कहा गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं यह पाता हूँ कि आवेदिकागण/अभियुक्तागण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिकागण/अभियुक्तागण कंचन यादव व सुमन यादव की ओर से मु०अ०सं० 83/2017, अन्तर्गत धारा 323, 325, 308, 504, 506, 427 भा०दं०सं० थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिकागण/ अभियुक्तागण द्वारा मु०–50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1. आवेदिकागण/अभियुक्तागण प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगी।
2. अभियुक्तागण प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेंगी।
3. आवेदिकागण/अभियुक्तागण अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेंगी न ही धमकायेंगी और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगी।
4. आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय अभियुक्तागण के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 09.03.2026

(राम विलास सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकर नगर।